तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई । राजस्व लोक अदालत अभियान एवं न्याय आपके द्वार 2017 के तहत पत्रावली ग्राम पंचायत……ईसरदा……के अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 29/06/17 को पेश हो।	
8.12.17	पत्रावली पेशी से गिरकर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० तहसीलदार हेतु जवाब [illegible] पत्रावली 17-1-18 को पेश हो।	
17-1-18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० तहसीलदार का जवाब आज प्राप्त हो शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली आगामी तिथि 7.3.18 को पेश हो।	
7.3.18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार को जवाब अप्राप्त। पुनः तहरीर जारी हो। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 18.4.18 को पेश हो।	
18/4/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार के जवाब के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। वकील प्रार्थी को आवेदन आदेश मय नक्शा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने हेतु हिदायत दी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी तारीख २५.५.१८ कैम्प ईसरदा में पेश हो। रेगुलर कोर्ट की तारीख पेशी ५.७.१८ होगी।	
२५.५.१८	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान २०१८ कैम्प कोर्ट ईसरदा प्रस्तुत हुई। तहसीलदार द्वारा पुनः जवाब प्रेषित	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	किया गया। प्रार्थी द्वारा कोई भी वांछित साक्ष्य (दस्तावेज) प्रस्तुत नहीं किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है। प्रार्थी सूरजमल पु. लक्ष्मीनारायण जाति अहीर द्वारा ग्राम ईसरदा स्थित साबिक खसरा सं० 501, 502, 502/2, व 508 जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र खरीद कर वे उनपर काबिज हो गये संवत् 2034 से 2037 की जमाबंदी में नामान्तरकरण सं. 1765 का नोट अंकित है। दौराने सैटलमेन्ट उक्त साबिक खसरा सं० के नवीन खसरा सं० बनाकर प्रार्थी के कब्जे को बजाय कहीं और अंकित प्रदर्शित कर दिये गये। प्रार्थी काफी समय से ग्राम ईसरदा के खसरा सं० 1137 व 1138 पर काबिज है इस आधार पर वो उनके नाम चालू वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है एवं उसके स्वयं को खातेदारी में अंकित खसरा सं० (नवीन) 1139, 1139/5264, 1140, 1140/5262, 1143, 1189/5479, 1201, 1202, 1260, 1135, 1137/5263, 1144 कुल किता 12 कुल रकबा 3.65 हैक्टर में से खसरा सं० 1139, 1139/5264, 1140, 1140/5262, 1143, 1189/5479, 1201, 1202, 1260, ~~1135 1137/5263, 1144~~ को सिवायचक अंकित करवाना चाहता है जवाब तहसीलदार अनुसार खसरा सं० 1137 रकबा 2.94 हैक्टर 1138 रकबा 0.40 हैक्टर जो कि सिवायचक भूमि है खसरा संख्या (साबिक) 500 से बने है जो कि (क्रेता) प्रार्थी के नाम नहीं रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित साबिक खसरा सं 501 से नवीन खसरा 1135 रकबा 0.04, साबिक ख.सं. 502, (502/2) में 1137/5263, 1144, 1143, 1140/5262, 1139/5264 नवीन ख. नम्बर बने, साबिक खसरा सं० 508 से नवीन खसरा सं० 1139, 1140, 1189/5479 1201, 1202, 1260 बने ये नवीन खसरा सं० वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो इस ... तामील में ...
	प्रार्थी की खातेदारी में है। खसरा सं० (नवीन) 1137 व 1138 साबिक खसरा सं० 560 से बने है जो प्रार्थी की खातेदारी में कभी भी नहीं रहा तथा वर्तमान खसरा सं० 1137, 1138 किस्म गै॰मु॰ तालाब (सिवाय चक) है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि साबिक नक्शाशीट में अंकित/प्रदर्शित प्रार्थी की खातेदारी के खसरा सं० (साबिक) एवं सैटलमेन्ट बाद तैयार नक्शा शीट में प्रदर्शित प्रार्थी की खातेदारी के खसरा सं० लगभग एक स्थान पर है अर्थात् साबिक व वर्तमान शीट का अवलोकन करने पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को त्रुटिवश अन्यत्र प्रदर्शित करना सिद्ध नहीं होता। साबिक एवं हाल खसरा सं० के मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से भी राजस्व कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नवीन राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते वक्त किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अत: ग्राम ईसरदा स्थित प्रार्थी की खातेदारी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड-जमाबंदी (नवीन) एवं वर्तमान राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि गत रिकॉर्ड से मिलान करने पर नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज न० से कम हो।	